न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 147/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/167)

मोहनलाल पुत्र मंगल्या जाति माली, सूरवाल तहत तहसीसल व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 165/2016 मोहनलाल बनाम सरकार निर्णय दिनांक 15.03.2017 एवं निर्णय दिनांक 07.10.2015 मिसल नंबर 657/15 तहसीलदार सवाई माधोपुर उनवानी सरकार बनाम मोहनलाल (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री शिवचरन सोनी वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 व जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने आदेश दिनांक 07.10.2015 से अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1327 के रकबा 0.10 है0 गैर मुमकिन रास्ता वाकै ग्राम सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर पर जोत लगाकर अवैध अतिकमण किये जाने पर अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है। साथ ही अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिकमी पाये जाने पर 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के इस आदेश दिनांक 07.10.2015 के खिलाफ प्रथम अपील तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष की गई। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2017 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 07.10.2015 यथावत रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तलब की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2017 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.10 है0 वाकै ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाईमाधोपुर किस्म सिवायचक पर अतिकमी मानकर बेदखल किये जाने, शास्ती आरोपित करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के संबंध में निर्णय पारित किया था। उक्त निर्णय की अपील जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में किये जाने पर विद्वान जिला कलक्टर ने पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों को देखे बिना अपीलाधीन निर्णय किया दिनांक 15.03.2017 को पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिकमी माना है जबकि इसके संबंध में किसी प्रकार के कोई स्वतन्त्र गवाहों के बयान नहीं लिये गये हैं और न ही अपीलान्ट को पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान के दौरान जिरह का अवसर ही दिया गया। इस तथ्य को जिला कलक्टर द्वारा भी नहीं देखा गया है। इस आधार पर दोनों अदालत मातहतों द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1327 रकबा 0.10 है0 सिवायचक भूमि वाकै ग्राम सूरवाल पर अपीलान्ट के अतिरिक्त कालू पुत्र मंगल्या माली निवासी सूरवाल का भी पटवारी हल्का द्वारा अतिकमण करने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया है। इस प्रकार एक ही खसरा नंबर की भूमि पर दो अलग–अलग व्यक्तियों को सजा दी गई है। इस तथ्य पर गौर किये बिना विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की अपील को खारिज करने का आदेश दिया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को आज दिनांक तक विवादित आराजी के मौके से पूर्व में कभी भी भौतिक रूप से वेदखल नहीं किया गया है। इसके बाबजूद भी अपीलान्ट को विवादित खसरा नंबर पर पाश्चातवर्ती अतिकमी मानने में अहम भूल की है। इसके अलावा विवादित आराजी का सीमाज्ञान कराये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई अतिकमण नहीं है। इसके बाबजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि मौका एवं रिकार्ड के विपरीत है। अपीलान्ट एक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है, जो कमाने खाने बाहर चला गया था। इस कारण जब अपीलान्ट अपने ग्राम सूरवाल आया तब अपीलान्ट ने अपने प्रकरण की जानकारी दिनांक 25.09.2017 को अपने वकील साहब से की तब पता चला कि अधीनस्थ अदालत का निर्णय दिनांक 15.03.2017 को हो चुका है। जिसमें अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

गया है। इस तथ्य की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त की। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने व निर्णय प्राप्त होने से अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। इसके बाबजूद अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 व जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 निरस्त किये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 25.10.2017 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.09.2017 को अभिभाषक से होने पर अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन करने व नकल प्राप्त करने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा ग्राम सूरवाल के खसरा नंबर 1327 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के 0.10 है0 रकबे

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पर जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसमें दिनांक 07.10.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की विधिवत तामील अपीलान्ट पर होने के बाबजूद भी अपीलान्ट के अदालत मातहत में सुनवाई हेतु उपस्थिति नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने के बाद पटवारी हल्का के पूर्व मुद्रित बयान फार्म में बयान लिए जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.10.2015 को पारित किया गया है। जिसमें पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत की गई पश्चातवर्ती अतिचार की रिपोर्ट को आधार मानकर विवादित भूमि से बेदखल किये जाने, 50 गुना शास्ती आरोपित किये जाने तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त पत्रावली में अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है और न ही पूर्व के वर्ष में अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखल किये जाने के निर्णय व भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का रिकार्ड संलग्न नहीं है। जबकि पश्चातवर्ती अतिचार के लिए पूर्व वर्ष में अतिक्रमण किये जाने पर भौतिक रूप से बेदखल किया जाना आवश्यक है। विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2017 में पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट व दिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार माना है। यद्यपि अपीलाधीन निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर ने यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने के संबंध में तहसीलदार सवाई माधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें विवादित भूमि पर अपीलान्ट द्वारा गेहूं की फसल काश्त की गई है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया, परन्तु अपीलान्ट की ओर से दिनांक 08.11.2017 को पुनः तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र पेश किया गया है कि वह खसरा नंबर 1327 रकबा 0.10 है0 पर अपना कब्जा छोड़ देगा तथा भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करेगा। इस आधार पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय में पारित सिविल कारावास की सजा को स्थगित किया गया था। इसके बाद विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अदालत हाजा में प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में पारित सिविल कारावास की सजा को यथावत रखे जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 07.10.2015 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से अपील में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 को सिविल कारावास की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि के संबंध में पुनः पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि अपीलान्ट द्वारा अभी–भी विवादित भूमि से अतिकमण नहीं हटाया गया है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देने तथा पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में पटवारी हल्का के बयान लेने व पूर्व में किये गये अतिकमण के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी रिकार्ड व भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का रिकार्ड संलग्न कर सिविल कारावास के संबंध में पुनः निर्णय प्राप्ति के 2 माह के अन्दर–अन्दर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर